प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.11.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

िथाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा साईबर फ्रांड करने वाले 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए 07 मोबाईल फोन, 146 सिम कार्ड, 01 बायो मेट्रिक मशीन मय वायर, 02 आधार कार्ड व 01 आधार कार्ड की फोटो कापी, 02 मोटरसाईकिल, 02 एटीएम कार्ड, 01 पेन कार्ड, 01 ई-श्रम कार्ड एवं नगद रुपये 2,81,500/- किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है व उनके कब्जे से साइबर फ्रांड करने वाली सामग्री की गयी बरामदा

पुलिस कार्यवाही विवरण- दिनांक 16/17.11.2024 को रात्रि में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो मोटरसाईकिल पर सवार कुल 05 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 07 मोबाईल फोन, 146 सिम कार्ड, 01 बायो मेट्रिक मशीन मय वायर,02 आधार कार्ड व 01 आधार कार्ड की फोटो कापी, 02 मोटरसाईकिल, 02 एटीएम कार्ड, 01 पेन कार्ड, 01 ई-श्रम कार्ड एवं नगद रुपये 2,81,500/- बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि उन सभी के द्वारा नौकरी दिलाने, पासपोर्ट बनवाने, केवाईसी अपडेट कराने, एटीएम बन्द होने तथा गूगल पे पर बोनस आदि की बात बताकर ग्राहकों से उनके बैंक डिटेलस प्राप्त करके आनलाइन फ्रांड के माध्यम से पैसे मँगवाते थे। थाना स्थानीय द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 307/2024 धारा 317(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1. अनिल कुमार गौड़ पुत्र रमेश प्रसाद निवासी ग्राम सरेसर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- 2. रोहित यादव पुत्र दशरथ यादव निवासी गोधना थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- 3. रोशन कुमार पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद नि0 ग्राम गोधना थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- राहुल रस्तोगी पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद रस्तोगी नि0 अखरी कुरहुआ थाना रोहनियाँ जिला वाराणसी ।
- 5. मनीष यादव पुत्र छोटेलाल यादव नि0 ग्राम गोधना थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 307/2024 धारा 317(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधि. 2008

विवरण बरामदगी-

- 07 मोबाईल फोन
- 146 सिम कार्ड
- 01 बायो मेट्रिक मशीन मय वायर
- 02 आधार कार्ड
- 01 आधार कार्ड की फोटो कापी
- 02 मोटरसाईकिल (UP67N3947,UP67AE2978)
- 02 एटीएम कार्ड
- 01पेन कार्ड
- 01 ई-श्रम कार्ड

नगद रुपये 2,81,500/-

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2-निरीक्षक रमेश कुमार यादव निरीक्षक अपराध थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3-30नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 4-हे0का0 पन्नालाल यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 5-का0 शैलेन्द्र कन्नौजियाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 6-का0 शैलेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 7-का0 विजय कोरी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली